

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

### प्राधिकार से प्रकाशित

### **PUBLISHED BY AUTHORITY**

ਸਂ. 613] No. 613] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 21, 2014/कार्तिक 30, 1936

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 21, 2014/KARTIKA 30, 1936

# भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

# अधिसूचना

मुम्बई, 12 नवम्बर, 2014

# विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम)

(पांचवॉ संशोधन) विनियमावली, 2014

सा.का.नि. 828(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ए) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा, समय-समय पर यथासंशोधित, विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 (7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं. फेमा. 120/आरबी-2004) (जिसे इसके आगे मूल विनियमावली अथवा अधिसूचना कहा गया है) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थातु:—

## 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) ये विनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम)(पांचवाँ संशोधन) विनियमावली, 2014 कहलाएंगे।
- (ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

### 2. विनियम 2 में संशोधन

विनियम 2 में, खंड (बी) के बाद, निम्नलिखित नया खंड अंतर्निहित किया जाएगा, अर्थात्:

"(बीए) 'आनुकल्पिक निवेश निधि (Alternative Investment Fund)' का तात्पर्य उस निधि से है जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 में यथा परिभाषित है।"

4606 GI/2014 (1)

# 3. विनियम 26 में संशोधन

मौजूदा विनियम 26 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

# "26. मुचुअल फंडों एवं अन्य फंडों द्वारा निवेश

मुचुअल फंडों (MF), जोखिम पूंजी निधियों (VCF) एवं आनुकल्पिक निवेश निधियों (AIF) द्वारा विदेशी प्रतिभूतियों की खरीद इन विनियमों, और भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा, समय-समय पर, अधिसुचित ऐसी अन्य शर्तों के अधीन होगी।"

[सं. फेमा. 326/आरबी-2014] सी. डी. श्रीनिवासन, मुख्य महाप्रबंधक

**पाद टिप्पणी**: मूल विनियमावली भारत सरकार के सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में 19 नवंबर, 2004 के सा.का.नि. सं. 757(अ) द्वारा प्रकाशित और तद्परांत निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई थी :—

सा.का.नि. सं. 220 (अ) दिनांक अप्रैल 7, 2005, सा.का.नि. सं. 337(अ) दिनांक मई 27, 2005, सा.का.नि. सं. 552(अ) दिनांक अगस्त 31, 2005, सा.का.नि. सं. 535(अ) दिनांक सितंबर 6, 2006, सा.का.नि. सं. 13(अ) दिनांक जनवरी 5, 2008, सा.का.नि. सं. 209(अ) दिनांक मार्च 25, 2008, सा.का.नि. सं. 676(अ) दिनांक सितंबर 24, 2008, सा.का.नि. सं. 756(अ) दिनांक अक्तूबर 31, 2008, सा.का.नि. सं. 108(अ) दिनांक फरवरी 20, 2009, सा.का.नि. सं. 301(अ) दिनांक मई 1, 2009, सा.का.नि. सं. 441(अ) दिनांक जून 23, 2009,

सा.का.नि. सं.609(अ) दिनांक अगस्त 28, 2009, सा.का.नि. सं. 607(अ) दिनांक अगस्त 3, 2012, सा.का.नि. सं. 609(अ) दिनांक अगस्त 3, 2012, सा.का.नि. सं. 947(अ) दिनांक दिसंबर 31, 2012, सा.का.नि. सं. 345(अ) दिनांक दिसंबर 31, 2013, सा.का.नि. सं. 516(अ) दिनांक जुलाई 30, 2013, सा.का.नि. सं. 529(अ) दिनांक अगस्त 05, 2013, सा.का.नि. सं. 552(अ) दिनांक अगस्त 14, 2013 सा.का.नि. सं. 323(अ) दिनांक मई 07, 2014 सा.का.नि. सं. 489(अ) दिनांक जुलाई 11, 2014

### RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

#### **NOTIFICATION**

Mumbai, the 12th November, 2014

## Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any

### Foreign Security) (Fifth Amendment) Regulations, 2014

**G.S.R. 828(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 6 and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) Regulations, 2004 (Notification No. FEMA.120/RB-2004 dated July 7, 2004), as amended from time to time, (hereinafter called the Principal Regulations or the Notification) namely:—

[भाग II—खण्ड 3 (i)] भारत का राजपत्र : असाधारण

### 1. Short Title and Commencement

- (i) These Regulations shall be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) (Fifth Amendment) Regulations, 2014.
- (ii) They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

## 2. Amendment to Regulation 2

In Regulation 2, after clause (b), the following new clause shall be inserted, namely:—

"(ba) 'Alternative Investment Fund' means a fund as defined under the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012;"

### 3. Amendment to Regulation 26

The existing Regulation 26 shall be substituted with the following, namely:—

# "26. Investment by Mutual Funds and other Funds

The purchase of foreign securities by Mutual Funds, Venture Capital Funds and Alternative Investment Funds shall be subject to these regulations, and such other terms and conditions as may be notified by the Reserve Bank and Securities and Exchange Board of India (SEBI) from time to time."

[No. FEMA 326/RB-2014]

C. D. SRINIVASAN, Chief General Manager

**Foot Note:** The Principal Regulations were published in the Official Gazette of GOI vide G.S.R. No 757(E) dated November 19, 2004 – in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended *vide*:—

G.S.R. No. 220(E) dated April 7, 2005,	G.S.R. No. 609(E) dated August 28, 2009,
G.S.R. No. 337(E) dated May 27, 2005,	G.S.R. No. 607(E) dated August 3, 2012,
G.S.R. No. 552(E) dated August 31, 2005,	G.S.R. No. 609(E) dated August 3, 2012,
G.S.R. No. 535(E) dated September 6, 2006,	G.S.R. No. 947(E) dated December 31, 2012,
G.S.R. No. 13(E) dated January 5, 2008,	G.S.R. No. 345(E) dated May 29, 2013,
G.S.R. No. 209(E) dated March 25, 2008,	G.S.R. No. 516(E) dated July 30, 2013,
G.S.R. No. 676(E) dated September 24, 2008,	G.S.R. No. 529(E) dated August 05, 2013,
G.S.R. No.756(E) dated October 31, 2008,	G.S.R. No. 552(E) dated August 14, 2013,
G.S.R. No. 108(E) dated February 20, 2009,	G.S.R. No. 323(E) dated May 07, 2014 and
G.S.R. No. 301(E) dated May 1, 2009,	G.S.R. No. 489(E) dated July 11, 2014.
G.S.R. No. 441(E) dated June 23, 2009,	